

निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर  
प्रकरण संख्या 51/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )

1. श्योजी पुत्र स्व. श्री राम प्रसाद जाति अहीर निवासी ग्राम जगदीशपुरा, पोस्ट सांभरिया,  
तहसील बरसी जिला जयपुर ।

प्रार्थी


**बनाम**

1. सहायक कलक्टर बरसी जिला जयपुर ।
2. मूलचन्द पुत्र स्व. श्री मोतीलाल
3. कल्याण पुत्र स्व. श्री मोतीलाल
4. रामनारायण पुत्र स्व. श्री राम सहाय
5. जयनारायण स्व. श्री राम सहाय
6. मोहन लाल स्व. श्री राम सहाय
7. राधा किशन पुत्र स्व. भौरिया
8. रामकरण पुत्र स्व. श्री जगदीश
9. कमलेश पुत्र स्व. श्री जगदीश
10. रामलाल पुत्र स्व. श्री जगदीश
11. मु.रुकमा पत्नी स्व. श्री जगदीश
12. रामावतार पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद
13. किशोर पुत्र श्री मोतीलाल
14. प्रभाती लाल पुत्र स्व. श्री राम सहाय
15. कालूराम पुत्र स्व. श्री छोगालाल
16. रामजीवण पुत्र स्व. श्री छोगालाल
17. गोपाल पुत्र स्व. श्री छोगालाल
18. बंशी पुत्र स्व. श्री छोगालाल
19. देवीलाल पुत्र स्व. श्री छोगालाल

समस्त जाति अहीर, समस्त निवासीयान ग्राम जगदीशपुरा, पोस्ट सांभरिया, तहसील  
बरसी, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण



  
जिला कलक्टर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान  
काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर बरसी के  
समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 48/2020 ब उनवानी  
मूलचन्द बनाम राधाकिशन व अन्य को अन्यत्र सक्षम  
न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत ।

प्रकरण संख्या 51(ए)/2020 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )


- 1 जयनारायण यादव पुत्र श्री रामसहाय यादव जाति अहीर निवासी ग्राम जगदीशपुरा, पोस्ट सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

- 1 रामकरण पुत्र स्व. श्री जगदीश
- 2 रामलाल पुत्र स्व. श्री जगदीश
- 3 कमलेश पुत्र स्व. श्री जगदीश
- 4 मु. रूकमा पत्नी स्व. श्री जगदीश
- 5 राधा किशन पुत्र स्व. श्री भौरिया
- 6 श्योजी पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद
- 7 रामवतार पुत्र स्व. श्री रामप्रसाद  
समस्त जाति अहीर, समस्त निवासीयान ग्राम जगदीशपुरा, पोस्ट सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर।
- 8 कल्याण पुत्र मोती
- 9 मूलचन्द पुत्र मोती
- 10 मोहन पुत्र रामसहाय
- 11 रामनारायण पुत्र रामसहाय  
समस्त जाति अहीर, समस्त निवासीयान ग्राम जगदीशपुरा, पोस्ट सांभरिया, तहसील बस्सी, जिला जयपुर ।
- 12 प्रभातीलाल पुत्र राम सहाय यादव जाति अहीर निवासी प्लाट नं. 312 जे डी ए कालोनी, डेयरी स्कीम वाटिका, जिला जयपुर।

तरतीबी अप्रार्थीगण

  
जिला कलक्टर  
जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 48/2020 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र संख्या 32/2020 व उनवानी मूलचन्द बनाम राधाकिशन व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थित:-

1. श्री हेमराज भदाला अधिवक्ता प्रार्थी श्योजी की ओर से ।
2. श्री कुलदीप गौड अधिवक्ता प्रार्थी जयनारायण की ओर से ।
3. श्री एन के यादव अधिवक्ता अप्रार्थी प्रभाती की ओर से।
4. श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता अप्रार्थी रामकरण, कमलेश एवं रूकमा देवी की ओर से।

निर्णय

दिनांक 05.11.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर के समक्ष प्रकरण 48/2020 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र संख्या 32/2020 व उनवानी मूलचन्द बनाम राधाकिशन व अन्य विचाराधीन है। जिसमें प्रार्थी श्योजी पुत्र स्व. श्री राम प्रसाद जाति अहीर एवं जयनारायण यादव पुत्र राम सहाय यादव ने उक्त प्रकरणों में पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर पृथक पृथक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन उक्त उनवानी प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये जाने के प्रार्थना पत्र पेश किये है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किये गये। सहायक कलक्टर <sup>बस्सी</sup> से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई, किन्तु प्राप्त नहीं हुई। प्रार्थी श्योजी की ओर से श्री हेमराज भदाला अधिवक्ता, प्रार्थी जयनारायण की ओर से श्री कुलदीप गौड अधिवक्ता, अप्रार्थी प्रभाती की ओर से श्री एन के यादव अधिवक्ता एवं अप्रार्थी रामकरण कमलेश, रूकमा देवी की ओर श्री वीरेन्द्र सिंह शेखावत अधिवक्ता उपस्थित है। उक्त दोनों मुन्तकिल प्रार्थना पत्र सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन एक ही प्रकरण के विरुद्ध दो पक्षकारान द्वारा प्रथक प्रथक पेश किये गये है इसलिए उभय पक्ष ने सामूहिक बहस सुनने का निवेदन किया है। जिस पर उभय पक्ष की सामूहिक बहस सुनी गई।
3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. सहायक कलक्टर बस्सी से इस सम्बन्ध में बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई थी, किन्तु प्राप्त नहीं हुई है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता उक्त प्रकरणों को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने पर सहमत है। फलस्वरूप: मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
5. न्यायालय सहायक कलक्टर बस्सी के समक्ष विचाराधीन प्रकरण व उनवानी 48/2020 व अस्थाई निषेधाज्ञा प्रा. पत्र संख्या 32/2020 व उनवानी मूलचन्द बनाम राधाकिशन व अन्य को न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में मुन्तकिल किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 23.11.2020 को सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के न्यायालय में उपस्थित हो ।



जयपुर  
जिला कलक्टर

6. न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय प्रकरण दर्ज कर उसी स्तर उभय पक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर आगे की कार्यवाही कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हसब कायदा सहायक कलक्टर बस्सी व सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रेषित हो। निर्णय की प्रति पत्रावली संख्या 51/2020 एवं 51(ए)/2020 पर पृथक पृथक रखी जावे। पत्रावली नम्बर से कम होकर शुमार फैसल हो।
8. निर्णय आज दिनांक 05.11.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।



*तल*  
3/11/2020  
(अन्तर सिंह नेहरा)  
जिला कलक्टर  
जयपुर